

## नियमों के विपरीत निर्माण तथा अनाधिकृत विकास के नियमितीकरण के लिए समय रहते कर ले आवेदन, आवेदन करने वाले हजारों लोगों के आवेदन हो चुके हैं निराकृत

भिलाई नगर/ नियमों के विपरीत निर्माण करने वाले लोगों के लिए नियमितीकरण कराने का सुनहरा अवसर उन्हें मिल रहा है, इसलिए आवेदन करने में विलंब न करें शीघ्र ही नियमितीकरण के लिए आवेदन कर नियमितीकरण करा लें, क्योंकि निर्धारित तिथि के अनुसार नियमितीकरण कराने के लिए कुछ ही समय शेष है। निगम में आवेदन करने वाले हजारों लोगों का नियमितीकरण हो चुका है। भवन अनुज्ञा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अब तक आवासीय व गैर आवासीय मिलाकर जिन्होंने नियमितीकरण के लिए अपना आवेदन निगम में जमा कर दिया है , उनमें से 1035 लोगों के नियमितीकरण हो चुके हैं, क्योंकि इसकी प्रक्रिया को भिलाई निगम द्वारा शीघ्रता से अपनाया जा रहा है। निगमायुक्त ने जोन के अभियंताओं को निरीक्षण प्रक्रिया शीघ्रता से अपनाने के निर्देश दिए हैं , इसके लिए उन्होंने आदेश भी जारी किया है। इन अनाधिकृत विकास का करा सकते हैं नियमितीकरण यदि किसी ने बिना बिल्डिंग परमिशन लिए निर्माण किया हो , बिल्डिंग परमिशन प्राप्त करके स्वरूप में परिवर्तन किया हो या फिर प्रदाय किए गए भवन अनुज्ञा के विपरीत निर्माण कर लिया हो तो इसका नियमितीकरण कराया जा सकता है। इसके लिए भिलाई निगम में वास्तुविद के माध्यम से आवेदन करना होगा। महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त रोहित व्यास ने योजना का अधिक से अधिक लाभ दिलाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। आर्किटेक्ट की सूची समस्त जोन कार्यालय एवं मुख्य कार्यालय में भी चस्पा की गई है तथा भिलाई निगम के वेबसाइट से भी आर्किटेक्ट की सूची प्राप्त की जा सकती है। भूखंड क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर तक के अनाधिकृत आवासीय निर्माण का नियमितीकरण में शास्ती से छूट मिल रही है। कैसे करे नियमितीकरण के लिए आवेदन आवेदन , मानचित्र निगम के पंजीकृत वास्तुविद/इंजीनियर से तैयार कराकर आवेदन करना होगा। आवेदन निर्धारित प्रारूप में चेक लिस्ट के अनुसार नगर पालिक निगम भिलाई के वेबसाइट [www.bhilainagarnigam.com](http://www.bhilainagarnigam.com) से डाउनलोड किया जा सकता है। आर्किटेक्ट की सूची भी इस वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। अनाधिकृत निर्माण दिनांक 14 जुलाई 2022 के पूर्व से निर्मित है इस संबंध में साक्ष्य के रूप में भवन का बिजली बिल , प्राप्टी टैक्स जिसमें तारीख अंकित हो जमा करना आवश्यक है , अन्य दस्तावेज आवेदन के प्रारूप एक में चेक लिस्ट के अनुसार संलग्न करके आवेदन करना होगा। नियमितीकरण कराने के लिए अधिक जानकारी के संबंध में इस नंबर पर करें संपर्क नियमितीकरण करवाने के लिए भवन अनुज्ञा शाखा के उप अभियंता शहबाज अहमद के मोबाइल नंबर 9399414300 पर संपर्क कर सकते हैं तथा नियमितीकरण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ले सकते हैं। नियमितीकरण के संबंध में किसी भी प्रकार से भटकने की आवश्यकता नहीं है सीधे इस नंबर में संपर्क करके नियमितीकरण की प्रारंभिक प्रक्रिया से लेकर सभी प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी मिल जाएगी तथा आवेदन किस प्रकार से करना है इन सभी की जानकारी भी इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से मिल पाएगी।

